



## कथन

(धारा 161 द0प्र0सं0)

थाना-ईओडब्ल्यू, रायपुर  
अपराध क्रमांक-09/15

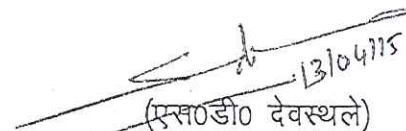
जिला-रायपुर।  
धारा-109, 120(बी), 420 भा.द.वि.,  
13(1)(डी)सहपठित धारा 13(2) भ्र.नि.अ. 1988

अनिल सिंह ध्रुव पिता श्री गणेश सिंह ध्रुव आयु 45 साल निवासी-के0के0 रोड  
मौदहापारा, बजरंग मंदीर के पास, रायपुर मो0नं0-9302775841

—00—

पूछने पर बताया कि मैं उपरोक्तानुसार व्यक्ति हूँ। पूछने पर बताया कि शादी विवाह के कार्यों में फोटोग्राफी का काम अपने मित्र प्रणव विश्वास के साथ करता हूँ। प्रणव विश्वास का विश्वास विडियोज तेलीबांधा रेल्वे क्रॉसिंग के पास दुकान है। अभी बहुत दिनों से काम नहीं कर रहा हूँ। पूछने पर बताया कि अरविन्द सिंह ध्रुव स्टेनो टायपिस्ट नान मुख्यालय रायपुर इसका सगा छोटा भाई है। दिनांक 12.02.2015 को ऑफिस जाते समय अरविन्द सिंह ध्रुव ने इसे कहा था कि ऑफिस का कुछ का पैसा है जो करीबन 20 लाख होगा यदि कुछ कम होगा तो मिलाकर पूरा कर देना। इसके बाद मैं तथा मेरा बेटा आशीष सिंह ध्रुव (आशु) मिलकर पैसों की गिनती किये एक पैकेट में 10 लाख 95 हजार था तथा दूसरे पैकेट में 09 लाख रू0 था। गिनने के बाद इसने अरविन्द सिंह ध्रुव के कमरे के दराज में रखे 5000/-रू0 को मिलाकर 20 लाख रू0 पूरा कर दिया एवं दो अलग अलग पैकेटों में 10-10 लाख रुपये रख दिया। इसके बाद इसके बेटा आशु उर्फ आशीष सिंह ध्रुव के मोबाईल नंबर-9669504760 पर करीब 12:00 से 12:15 के बीच अरविन्द सिंह ध्रुव का फोन आया जिसे इसने रिसीव किया था। अरविन्द सिंह ध्रुव ने इसे कहा कि करके रख लिये हो भाई तब इसने हव-हव कहा, तब अरविन्द ने कहा मैं आ रहा हूँ पैक करके रखना और आशु वाले बैग में रखना, आशु है कि नहीं घर में तब इसने कहा हां है ना, अरविन्द ने इसे कहा कि आशु को पैसे लेकर अकबर भैया के घर के पास भेजना मैं फोन लगाऊंगा तब इसने कहा ठीक है ना। अरविन्द ने इससे पूछा कि उसमें कम निकला क्या तब इसने बताया कि हां 09 वाले में निकलाना, तब अरविन्द बोला उसमें नहीं निकला ना चलो कंप्लीट करके रखना ना, स्टेपलर मार देना। इसके कुछ देर बाद करीब 12:30 से 01:00 बजे के बीच अरविन्द का फोन 9669504760 पर आया तब फोन इसका बेटा रिसीव किया था इसके बाद आशु पैसों का बैग लेकर घर से गया और अरविन्द को देकर घर वापस आ गया।

ROAC, before me,

  
(एस0डी0 देवस्थले)  
निरीक्षक/विवेचनाधिकारी  
ई0ओ0डब्ल्यू0 रायपुर